न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –508/2023
अनवान : –

1. सीमा पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. राजबाला पत्नी हनुमान जाति मेघवाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. किरसन पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. मंगतुराम पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. चन्द्रो पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
5. सन्तोष पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः**– 14/2/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 45/50 के खसरा न0 160 की कुल 8.1440 हैक्ट भूमि में से 253/4072 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीया की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्म जात हक हिस्सा है कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादीया व प्रतिवादी स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। प्रतिवादीया स0 1 जो की वादीया की माता है तथा प्रतिवादी स0 2 ता 3 जो की वादीया के भाई है व प्रतिवादीया स0 4 ता 5 वादीया की बहिने है उपरोक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा वादीया के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग वादीया उक्त वाद भूमि पर अकेली काबिज है। यही विनाया दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया [illegible] है [illegible]वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने उपस्थित आकर वादी [illegible] वाद को स्वीकार क[illegible] जवाब इकबाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:04:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादीया ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक भूमि है जिसमें वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादीया संख्या 1 के साथ हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादीया के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 45/50 के खसरा न0 160 की कुल 8.1440 हैक्ट भूमि में से 253/4072 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि उभयपक्ष ने हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादीया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादीया के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वादीया के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 45/50 के खसरा न0 160 की कुल 8.1440 हैक्ट भूमि में से 253/4072 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादीया स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को [illegible] काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन [illegible] के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:04:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/02/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:04:59 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –508 / 2023

अनवान : –

1. सीमा पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. राजबाला पत्नी हनुमान जाति मेघवाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. किरसन पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. मंगतुराम पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. चन्द्रो पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
5. सन्तोष पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी गुडिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 508 सन 2023 निर्णय दिनांक– 14/02/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 45/50 के खसरा न0 160 की कुल 8.1440 हैक्ट भूमि में से 253/4072 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादीया स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/02/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:04:59 IST
Reason: SelfAttested